न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं078 / 2022 तारीख रजू:– 09.05.2022

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

उर्मिला पुत्री रतन्या जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान ———————————————————— सायला

बनाम

1. रतन्या पुत्र श्यौजी
2. गोपाल पुत्र रतन्या
3. ध्यानलाल पुत्र रतन्या
4. सिरमोहर पुत्र रतन्या
5. शिवसिंह पुत्र सिरमोहर

(1 से 5) जाति मीना निवासी सूरौठ तहसील सूरौठ जिला करौली

6. तहसीलदार, तहसील सूरौठ जिला करौली
7. सब रजिस्ट्रार, कार्यालय सब रजिस्ट्रार सूरौठ जिला करौली—— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री मोहन अवस्थी एडवोकेट सायला
2. श्री शर्दीलाल चौधरी एडवोकेट गैरसायल सं01ता 5

निर्णय

दिनांक :– 15-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायला ने गैरसायलान के विरूद्ध न्यायालय हाजा में उपरोक्त उनवानी वाद बाबत् घोषणा खातेदारी, तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दायर कर दिया है। जिसमें सायलान को सफलता की पूरी पूरी उम्मीद है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि सायला व गैरसायल नं0 1 लगायत 5 का सजरा ऐ खानदान दर्ज किया है जिसमें श्यौजी (बाबा फौत) के वारिसान एक पुत्र रतन्या व तीन पुत्री रामप्यारी, सम्पत्ति, मंगलो हैं, रतन्या के

तीन लडके सिरमोहन गोपाल श्यामलाल तथा चार पुत्रियां प्रेम रश्मी केसूली उर्मिला हैं तथा सिरमोहर के एक लडका शिवसिंह हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 650 व पुराना 568 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.14 है0, 1472 रकबा 0.31 है0, 1477 रकबा 0.29 है0, 1478 रकबा 0.33 है0, 1508 रकबा 0.12 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में स्थित है, जिसकी खातेदारी गैरसायल नं01 रतन्या पुत्र श्यौजी के नाम दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 693 व पुराना 600 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.15 है0, वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें गैरसायल सं01 रतन्या पुत्र श्यौजी के नाम 1/4 भाग की खातेदारी दर्ज है तथा खातेदार भोली पत्नि श्यौजी फौत हो चुकी है, जिसके वारिसान सायला व गैरसायल सं01 ता 5 हैं तथा अन्य खातेदार अपने अपने हिस्से के खातेदार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि खाता संख्या 331 व पुराना खाता संख्या 420 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 0.22 है0, 292 रकबा 0.45 है0, 294 रकबा 0.17 है0, 299 रकबा 0.59 है0, 300 रकबा 0.23 है0, 301 रकबा 0.27 है0, 302 रकबा 0.26 है0, 303 रकबा 0.19 है0, 304 रकबा 0.53 है0, 310 रकबा 0.37 है0, 311 रकबा 0.15 है0, 312 रकबा 0.15 है0, 313 रकबा 0.23 है0, 315 रकबा 0.38 है0, 316 रकबा 0.20 है0, 317 रकबा 0.01 है0, 318 रकबा 0.29 है0, 322 रकबा 0.40 है0, 323 रकबा 0.15 है0, 331 रकबा 0.25 है0, 332 रकबा 0.24 है0, 334 रकबा 0.01 है0, 335 रकबा 0.17 है0, कुल किता 24 कुल रकबा 6.06 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में स्थित है। जिसमें गैरसायल सं01 रतन उर्फ रतन्या का 1/5 हिस्सा है और अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं तथा उक्त भूमि के अन्य सहखातेदारान अपने अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 1069 व पुराना 650 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम

बाबत
ा का
ला को

सूरौठ तहसील सूरौठ में स्थित है, जिसमें गैरसायल सं0 2,3 व 5 के नाम खातेदारी 1/3,1/3,1/3 भाग की दर्ज है, जो भूमि भी पैत्रिक आराजीयात है, जिसकी गैरसायल सं01 ने बिना किसी प्रतिफल के नुमायशी विक्रय पत्र के आधार पर गैरसायल नं02,3, व 5 के हक में जरिये नामान्तकरण सं0 1896 दिनांक 05.04.2019 को करा दी गयी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं03,4,5,6 सायला व गैरसायलान नं0 5 के पूर्वज श्यौजी से विरासत में प्राप्त हुई है और पैत्रिक आराजीयात के हर भाग में सायला का हिस्सा बनता है।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि खातेदार भोली पत्नि श्यौजी का देहान्त हो चुका है तथा मृतक भोली की 1/4 हिस्से की भूमि में से सायला 1/8 हिस्से की भूमि की खातेदारी अपने नाम कराने की अधिकारी है तथा खातेदार मिश्रीलाल पुत्र भौरया फौत हो चुका है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि सायला का गैरसायल सं01 के हिस्से की आराजीयात में से सायला का 1/8 हिस्सा बनता है, आराजी मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र में सायला का 1/8 हिस्सा है तथा आराजीयात मुतजिका मद नं04 प्रार्थना पत्र में सायला का 1/8 हिस्सा है तथा आराजी मुतजिका मद नं0 5 प्रार्थना पत्र में गैरसायल रतन्या के 1/5 हिस्से में से सायला का 1/8 हिस्सा है तथा आराजीयात मुतजिका मद नं06 प्रार्थना पत्र में भी सायला का 1/8 हिस्सा बनता है।

प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि उपरोक्त आराजीयात मुतजिका मद नं0 3,4,5,6 प्रार्थना पत्र का काफी सालों पूर्व ही बाहमी तौर पर बंटवारा हो गया और बाहमी बंटवारे में आयी आराजीयात पर सायला अपने 1/8 हिस्से पर काबिज व दखील चली आ रही है। चूंकि सायला परित्यक्तता महिला है, जो कि अपनी जिन्दगी के शेष दिन अपने पिता के गांव सूरौठ में ही रहकर अपनी जिन्दगी उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं0 3,4,5,6 को शान्तिपूर्वक काश्त कर उपयोग उपभोग कर अपना जीवन गुजार रही है। सायला का उक्त आराजीयात पर मौके पर अपने 1/8 हिस्से की जमीन पर कब्जा काश्त है,

सायला ने अपने हिस्से की जमीन को काफी पैसा लगाकर उपजाऊ बनाया है, सायला के हिस्से की जमीन इस समय वेश कीमती आराजीयात है।

प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिका मद नं0 6 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम सूरौठ को गैरसायल सं01 ने बिना प्रतिफल के नुमायशी विक्रय पत्र के आधार पर, गैरसायल सं02,3 व सिरमोहर के पुत्र यानि रतन्या के नाती शिवसिंह के हक में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र करवा दिया है और गुपचुप तरीके से नामान्तकरण सं0 1896 दिनांक 05.04.2019 को खुलवा दिया है जो कि गलत है, जबकि उक्त आराजीयात में 1/8 हिस्से की भूमि पर सायला का ही कब्जा काश्त है। इस प्रकार सायला का प्रथमदृष्टया केस बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि सायला ने गैरसायल नं0 1 ता 5 से उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं03 ता 6 का लीगल बंटवारा करने को कई बार निवेदन किया लेकिन हर बार टालते आ रहे हैं और विधिवत बंटवारा को तैयार नहीं है।

प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि गैरसायल नं01 ता 6 की नियत में बदयांति है तथा गैरसायल नं0 2 ता 5 गैरसायल सं01 से साज करके उक्त आराजीयात को बिना विधिवत बंटवारा हुए रहन वय करने पर आमादा है तथा दीगर लोगों को बेचान कर सायला के हिस्से की जमीन पर दीगर लठैत व्यक्तियों का कब्जा करवाना चाहते हैं और सायला को उसके हिस्से की जमीन से जबरन बेदखल करना चाहते हैं, कृषि से अकृषि में परिवर्तित करवाना चाहते हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं014 में दर्ज किया है कि सायला ने गत फसल में अपने हिस्से की आराजीयात में सायला ने गैहूँ व सरसों की फसल काश्त की थी, जिसे सायला ने ही दरोह किया है तथा आगामी साख के लिए सायला ने अपनी भूमि को सूल बबूल कर रखा है।

प्रार्थना पत्र के मद नं015 में दर्ज किया है कि घटना दिनांक 01.05.2022 को समय सुबह करीब 8 बजे का है कि सायला अपने हिस्से की जमीन की साल संभाल कर रही थी कि इतने में ही गैरसायलान नं01 ता 5 सायला की

आराजीयात में घुस आये और आते ही कहा कि अब तुम इन आराजीयात को भूल जाओ और अब जबरन हम कब्जा करेंगे तथा बिना विधिक बंटवारा के रहन बय कर देंगे। सायला ने गैरसायल नं01 ता 5 को काफी समझाया तथा लीगर बंटवारा को तहसील चलने को कहा तो भी गैरसायल नं01 ता 5 नहीं माने और सायला को जबरन बेदखल करने की धमकी दी। सायला ने गैरसायल नं01 ता 5 को काफी समझाया तथा गणमान्य व्यक्तियों से भी समझाया लेकिन गैरसायलान नं01 ता 5 अजखुद मानने को तैयार नहीं है तथा अपनी हठधर्मी पर आमादा है। यदि गैरसायलान अपनी उक्त बेजा हरकत में सफल हो गये तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

प्रार्थना पत्र के मद नं016 में दर्ज किया है कि उपरोक्त परिस्थितियों में गैरसायलान को जरिये टी.आई. पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है, यदि गैरसायलान को जरिये टी.आई. पाबन्द नहीं किया गया तो सायला को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी सम्भव नहीं हो सकेगी, इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन सायला के ही पक्ष में है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि दौराने दावा गैरसायल नं01 ता 5 सायला को आराजीयात मुतजिका मद नं03 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.14 है0, 1472 रकबा 0.31 है0, 1477 रकबा 0.29 है0, 1478 रकबा 0.33 है0, 1508 रकबा 0.12 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में सायला के 1/8 हिस्सा, मद नं0 4 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डौन में स्थित है, जिसमें गैरसायल सं01 के 1/4 भाग एवं मृतक भोली पत्नि श्यौजी के 1/4 हिस्से में से 1/8 हिस्से की भूमि तथा मद नं05 प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि खाता संख्या 331 व पुराना खाता संख्या 420 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 0.22 है0, 292 रकबा 0.45 है0, 294 रकबा 0.17 है0, 299 रकबा 0.59 है0, 300 रकबा 0.23 है0, 301 रकबा 0.27 है0, 302 रकबा

0.26 है0, 303 रकबा 0.19 है0, 304 रकबा 0.53 है0, 310 रकबा 0.37 है0, 311 रकबा 0.15 है0, 312 रकबा 0.15 है0, 313 रकबा 0.23 है0, 315 रकबा 0.38 है0, 316 रकबा 0.20 है0, 317 रकबा 0.01 है0, 318 रकबा 0.29 है0, 322 रकबा 0.40 है0, 323 रकबा 0.15 है0, 331 रकबा 0.25 है0, 332 रकबा 0.24 है0, 334 रकबा 0.01 है0, 335 रकबा 0.17 है0, कुल किता 24 कुल रकबा 6.06 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में गैरसायल सं01 के 1/5 हिस्सा में से 1/8 हिस्सा की भूमि तथा मद नं06 प्रार्थना पत्र खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में 1/8 हिस्से की भूमि को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, सायला को शांति पूर्वक काश्त करने देवें। सायला को जबरन बेदखल नहीं करें तथा सायला की भूमि को कृषि से अकृति में परिवर्तित नहीं करें तथा बिना बंटवारा विधिवत रूप से हुए रहन वय नहीं करें, सायला की डोल मेंड को नहीं तोडे तथा गैरसायलान ऐसा कोई काय ना तो स्वंय करें ना ही किसी अन्य से करावें जिससे हकूक सायला को कोई क्षति पहुँचे। गैरसायल सं07 गैरसायल नं01 ता 5 द्वारा प्रस्तुत उक्त आराजीयात बाबत् किसी भी दस्तावेज विकय पत्र रहननामा या अन्य किसी दस्तावेज को तस्दीक व पंजीबद्ध नहीं करें। गैरसायल नं06 रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। दिनांक 21.07.2022 को गैरसायल सं06,7 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये। गैरसायल सं0 1 ता 5 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में सायला द्वारा झूंठा दावा पेश किया जाना स्वीकार है। जिसमें सायला को सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज सायला व गैरसायल सं01 ता 5 का सजरा जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है क्योंकि सजरा से रामप्यारी का फौत होना दर्शाया

गया है लेकिन उसके लीगर वारिसान कौन है अंकित नहीं किया है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज आराजीयात व इबारत स्वीकार है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज इबारत आंशिक रूप से स्वीकार है क्योंकि खातेदार भौली पुत्र श्यौजी के मरने के बाद लीगन वारिस गैरसायल सं01 है जब तक गैरसायल सं01 जीवित है तब तक मृतक भोली जो उसकी मॉ थी, उसके हिस्से की भूमि पर सिर्फ गैरसायल सं01 का अधिकार बनता है अन्य का नहीं। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं05 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, स्वीकार नहीं है। क्योंकि उक्त मद में सायला द्वारा कुल 23 खसरा नम्बरों का इन्द्राज किया है, जिनका कुल रकबा 5.91 है0 होता है जबकि सायला द्वारा कुल खसरा नम्बर 24 व कुल रकबा 6.06 है0 अंकित किया गया है, जो मद में दर्ज नम्बरों के कुल रकबे से मेल नहीं खाता है, गलत दर्ज किया गया है गैरसायल सं01 रतन्या उक्त मद में दर्ज आराजीयात में खातेदार नहीं है जो रिकार्ड को देखने से स्पष्ट हो रहा है। सायला द्वारा चालाकी से रतन उर्फ रतन्या का हि01/5 अंकित गया है जबकि रतन को दावे में पक्षकार नहीं बनाया गया है। खसरा नम्बर 317 व 334 गैरमुमकिन बोरिंग हैं, जिनका कानूनी रूप से बंटवारा नहीं किया जा सकता है। उक्त मद में दर्ज आराजीयात में मिश्रीलाल पुत्र भौरया का भी मुताविक रिकार्ड हिस्सा बनता है लेकिन सायला द्वारा जानबूझकर उक्त मिश्रीलाल या उसके वारिसान को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं06 स्वीकार नहीं है। क्योंकि खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.34 है0 भूमि गैरसायल सं0 2,3,5 की खातेदारी व कब्जे काश्त की कयशुदा भूमि है, जिससे

गैरसायल सं02,3,5 के अलावा अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज इबारत मनगढंत व झूंठी होने के कारण स्वीकार नहीं है। क्योंकि उक्त मद में दर्ज इबारत आराजीयात मुतजिका मद नं0 2,3,4,5 प्रार्थना पत्र से सायला का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा है व ना ही वर्तमान में है क्योंकि प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज भूमि में रतन्या के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है इसी प्रकार मद नं05 में अंकित भूमि खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.34 है0 भूमि गैरसायल नं0 2,3 व 5 की क्यशुदा भूमि है जिस पर सायला का कोई कानूनी हक नहीं बनता है। सायला द्वारा अपने दावे में पैत्रिक भूमि बाबत् किसी प्रकार का कानूनी दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है क्योंकि उक्त आराजीयात स्वअर्जित सम्पत्ति की श्रेणी में आती है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज खातेदार भोली पत्नि श्यौजी का फौत होना स्वीकार है, लेकिन उसके नाम दर्ज हिस्सा 1/4 में से सायला का 1/8 वां हिस्सा कैसे बनता है नहीं बताया गया है। जबकि सायला द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के मद नं02 में सजरा खानदान अंकित किया गया है। जिसमें मृतक श्यौजी के कानूनी तौर पर गैरसायल नं01 अलावा 3 पुत्रियॉ रामप्यारी, सम्पति व मंगलो थी। खातेदार भोली की सम्पत्ति पर चारों का समान हक होना चाहिए जो प्रत्येक का प्रत्येक का 1/16 वां हिस्सा होता है। इसके बाद गैरसायल सं01 रतन्या के भी खुद के अलावा 3 पुत्र व 4 पुत्रियॉ वारिसान है। सायला के अलावा 6 अन्य वारिसान अर्थात 8 **X** 16 128 वां हिस्सा होता है। सायला द्वारा मनगढन्त हिस्सा दर्ज कर झूंठा दावा पेश किया गया है, जो स्वीकार नहीं है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं09 स्वीकार नहीं है, वादीया के प्रार्थना पत्र में अंकित आराजीयात में कोई हिस्सा नहीं बनता है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं010 मनगढन्त व झूंठी इबारत होने के कारण स्वीकार नहीं है। क्योंकि सायला गांव सूरौठ में रहती ही नहीं है इसलिए बाहमी बंटवारे वाली बात स्वतः ही झंठी साबित हो जाती है, सायला की शादी गैरसायल सं01 द्वारा गोविन्द सहाय पुत्र बालूराम जाति मीना निवासी भैरू का चबूतरा बस स्टेण्ड पुलिस लाईन के पास अलवर में कर दी थी, जिसमें दहेज के रूप में सायला को एक प्लाट 50 लाख की जयपुर में व 10 लाख रूपये नगद व करीब 20 लाख रूपये के गहने इस प्रकार करीब एक करोड रूपये की सम्पत्ति दहेज में दी थी जो वर्तमान में सायला के पास है और वह जयपुर में रहती है। जब सायला सूरौठ में रहती ही नहीं है तो बंटवारा व कब्जे वाली बात स्वतः ही झूंठ साबित हो जाती है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

ज़बाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज़ किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं011 स्वीकार नहीं है। उक्त मद में दर्ज भूमि गैरसायल सं0 2,3 व 5 के कब्जे काश्त की स्वअर्जित भूमि है, जिससे सायला या अन्य किसी का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। नाहक तंग व परेशान करने की गरज से झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं012 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं012 स्वीकार नहीं है। सायला गांव सूरौठ में रहती ही नहीं है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं013 में दर्ज इबारत स्वीकार नहीं है। सायला का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित आराजीयात में कोई हक उत्पन्न नहीं होता है। व ना ही मौके पर कोई कब्जा काश्त है। सायला सूरौठ में निवास भी नहीं करती है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं014 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं014 स्वीकार नहीं है। सायला सूरौठ में नहीं रहती है, जयपुर में मकान

बनाकर रहती है। मौके पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नहीं है। विशेष विवरण
उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं015 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के
मद नं015 स्वीकार नहीं है। झूंठा कॉज ऑफ एक्शन क्रियेट करने के उद्देश्य से
गलत दिनांक दर्ज कर झूंठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। क्योंकि सायला का
प्रार्थना पत्र में दर्ज आराजीयात में कोई हिस्सा मौके पर नहीं है व कानूनी रूप से
बनता भी नहीं है व ना ही उक्त मद में अपने हिस्से में कौनसी भूमि बाहमी बंटवारे
में आयी, जिसकी सार संभाल सायला दिनांक 01.05.2022 को कर रही थी, बल्कि
सही बात तो यह है कि सायला जयपुर में मकान बनाकर रहती है। सूरौठ में
रहती ही नहीं है। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं016 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के
मद नं016 स्वीकार नहीं है यदि गैरसायलान का प्रार्थना पत्र टी.आई. से पाबन्द
कर दिया गया तो उनके कानूनी अधिकारों पर कुठाराघात होगा, सायला के गलत
मंसूबों को बल मिलेगा। विशेष विवरण उज्रात मजीद में दर्ज है।

उज्रात मजीद :—

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं017 में दर्ज किया है कि सायला की
शादी गैरसायल सं01 द्वारा गोविन्द सहाय मीना पुत्र श्री बालूराम मीना निवासी
भैंरू का चबूतरा बस स्टैण्ड पुलिस लाईन के पास अलवर के साथ दिनांक 05.03.
2003 को सम्पन्न की गई थी जहॉ सायला के दो पुत्रियों का जन्म हुआ है।
सायला को गैरसायल सं01 द्वारा दहेज के रूप में सायला को एक प्लाट जयपुर
में कीमत 50 लाख रूपया व 10 लाख रूपये नगद व करीब 20 लाख रूपये के
गहने दिये इस प्रकार नगद रूप से 80 लाख रूपये की सम्पत्ति नगद में सायला
को दी थी जो वर्तमान में सायला के पास मौजूद है, सायला अपने पति व अपनी
पुत्रियों का परित्याग करके अपनी मर्जी से जयपुर वाली प्लॉट में मकान बनाकर
रहती है व अपने पति से भरण पोषण की राशि जो करीब 25 लाख रूपये है। से
अपना स्वतंत्र जीवन जी रही है। गांव सूरौठ में नहीं रहती है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं018 में दर्ज किया है कि सायला मीना जाति से विलांग करती है जिन पर कस्टमटी एक्ट लागू होता है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता है इसलिए पिता की सम्पत्ति में पुत्रों के समान पुत्रियों को हक प्राप्त नहीं होता है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं019 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित आराजीयात गैरसायलान की स्वअर्जित सम्पत्ति है, जिसमें सायला का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। गैरसायल सं01 के जीवनकाल में सायला को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। सायला गांव सूरौठ में नहीं रहती है। इसलिए मौके पर कभी भी आराजीयात पर कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं रहा है। सायला द्वारा तंग व परेशान करने के उद्देश्य से झूंठा दावा पेश किया गया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायला ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता–4, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2047 पेश की है।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायला ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायला की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.14 है0, 1472 रकबा 0.31 है0, 1477 रकबा 0.29 है0, 1478 रकबा 0.33 है0, 1508 रकबा 0.12 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम

सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी रतन्या पुत्र श्योजी हि0पूर्ण जाति मीना ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी तोता पुत्र धुन्धी हि0 5/32, भोली पत्नि श्योजी हि01/4, रंगलाल पुत्र धुन्धी हि0 5/32, रतन्या पुत्र श्योजी हि01/4, रामवाई पुत्री धुन्धी हि0 1/32, रामसिंह पुत्र धुन्धी हि0 5/32, जाति मीणा सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 0.22 है0, 292 रकबा 0.45 है0, 294 रकबा 0.17 है0, 299 रकबा 0.59 है0, 300 रकबा 0.23 है0, 301 रकबा 0.27 है0, 302 रकबा 0.26 है0, 303 रकबा 0.19 है0, 304 रकबा 0.53 है0, 310 रकबा 0.37 है0, 311 रकबा 0.15 है0, 312 रकबा 0.15 है0, 313 रकबा 0.23 है0, 315 रकबा 0.38 है0, 316 रकबा 0.20 है0, 317 रकबा 0.01 है0, 318 रकबा 0.29 है0, 322 रकबा 0.40 है0, 323 रकबा 0.15 है0, 331 रकबा 0.25 है0, 332 रकबा 0.24 है0, 333 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.01 है0, 335 रकबा 0.17 है0, कुल किता 24 कुल रकबा 6.06 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ की खातेदारी रतन पुत्र श्योजी हि01/5 व शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर1610 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ की खातेदारी गोपाल लाल पुत्र रतन्या हि01/3, ध्यानलाल पुत्र रतन्या हि01/3, शिवसिंह पुत्र सिरमोहर हि01/3 जाति मीना सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल पेश की है किन्तु सेटिलमेन्ट से पूर्व की जमाबन्दी की प्रति पेश नहीं की है। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2047 पेश की है जिसमें भी वही अंकन है जो जमाबन्दी सं0 2071–74 में अंकन है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात आराजी खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.14 है0, 1472 रकबा 0.31 है0, 1477 रकबा 0.29 है0, 1478 रकबा 0.33 है0, 1508 रकबा 0.12 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में गैरसायल सं01 रतन्या पुत्र श्योजी खातेदार काश्तकार है तथा आराजी खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में गैरसायल सं01 रतन्या पुत्र श्योजी हि01/4 का खातेदार काश्तकार है तथा आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 0.22 है0, 292 रकबा 0.45 है0, 294 रकबा 0.17 है0, 299 रकबा 0.59 है0, 300 रकबा 0.23 है0, 301 रकबा 0.27 है0, 302 रकबा 0.26 है0, 303 रकबा 0.19 है0, 304 रकबा 0.53 है0, 310 रकबा 0.37 है0, 311 रकबा 0.15 है0, 312 रकबा 0.15 है0, 313 रकबा 0.23 है0, 315 रकबा 0.38 है0, 316 रकबा 0.20 है0, 317 रकबा 0.01 है0, 318 रकबा 0.29 है0, 322 रकबा 0.40 है0, 323 रकबा 0.15 है0, 331 रकबा 0.25 है0, 332 रकबा 0.24 है0, 333 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.01 है0, 335 रकबा 0.17 है0, कुल किता 24 कुल रकबा 6.06 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ में गैरसायल सं01 रतन पुत्र श्योजी हि01/5 भाग का खातेदार काश्तकार है तथा आराजी खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ में गैरसायल सं02,3 व 5 खातेदार काश्तकार हैं। सायला रतन्या की पुत्री है। सायला ने ऐसा कोई भी ऐसा दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजीयात गैरसायल सं01 रतन्या उर्फ रतन को अपने पिता श्योजी से विरासत में प्राप्त हुई हो। जिससे उक्त विवादित आराजीयात पैत्रिक आराजीयात साबित हो सके। विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं03,4,5 का खातेदार/ सहखातेदार रतन उर्फ रतन्या पुत्र श्योजी जीवित है। मुतजिका मद नं06 प्रार्थना पत्र गैरसायल सं02,3 व 5 की खातेदारी की आराजीयात है, जो उनके द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद करने पर उनके नाम खातेदारी में तब्दील हुई है। जिससे सायला का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना साबित नहीं होता है। वकील गैरसायलान के द्वारा प्रस्तुत नजीर आरआरटी 2002(1) पेज–45 के अनुसार पक्षकार मीना जाति के हैं यानि अनुसूचित जन जाति के

व्यक्ति है– इसलिए हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 2(2) अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है। मीना जाति पर पुराना हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है जिसमें मीना जाति के महिलाओं को कोई कानूनी अधिकार कृषि भूमि में नहीं मिलता है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 खातेदार कृषकों पर प्रभाव होता है इस मामले में राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ द्वारा 1966 आर0आर0डी0 पेज 71 " भौरा बनाम गणेश " में विचार किया गया है पूर्ण पीठ ने केवल हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 बल्कि 4(2) पर विचार करते हुए उक्त विनिश्चय दिया है जिसके अनुसार अनुसूचित जन जाति पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू न होना व्यक्त किया है। तथा आर0आर0टी 2000 (2) 1085 पेज– 1086 में हाई कोट की नजीर में स्पष्ट अंकित किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956– धारा 2– विधवा द्वारा पुनर्विवाह–विवाह पर उसके पूर्व पति की भूमि में विधवा को कोई अधिकार नहीं है। पिता की पैत्रिक भूमि में भी पुत्री का भी अधिकार नहीं है। बोर्ड का निष्कर्ष कि विधवा और विवाहित पुत्री का विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा है, अवैध एवं प्रतिकूल है व अपास्त किया। तथा उक्त प्रकरण में विवादित आराजीयात मीना जाति की है। जिसमें विधवा/ विवाहित पुत्री का कोई अधिकार नहीं बनता है। उक्त प्रकरण में सायला, गैरसायल सं01 रतन्या उर्फ रतन पुत्र श्योजी जाति मीना की पुत्री है तथा जाति से मीना है जो अनुसूचित जन जाति की श्रेणी में आते है। जिन पर पुराना हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होता है। जिसमें मीना जाति में महिलाओं को कृषि आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक नहीं दिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सायला उक्त विवादित आराजीयात मुतजिका मद नं03,4,5,6 में वर्णित आराजीयात में किसी भी प्रकार का हित निहित नहीं रखती है। इस प्रकार सायला का प्रथम दृष्टया केस साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायला के पक्ष में है। बल्कि प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसी स्थिति में सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायला का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 1471 रकबा 0.14 है0, 1472 रकबा 0.31 है0, 1477 रकबा 0.29 है0, 1478 रकबा 0.33 है0, 1508 रकबा 0.12 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.19 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ तथा खसरा नम्बर 1649 रकबा 0.15 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ तथा आराजी खसरा नम्बर 284 रकबा 0.22 है0, 292 रकबा 0.45 है0, 294 रकबा 0.17 है0, 299 रकबा 0.59 है0, 300 रकबा 0.23 है0, 301 रकबा 0.27 है0, 302 रकबा 0.26 है0, 303 रकबा 0.19 है0, 304 रकबा 0.53 है0, 310 रकबा 0.37 है0, 311 रकबा 0.15 है0, 312 रकबा 0.15 है0, 313 रकबा 0.23 है0, 315 रकबा 0.38 है0, 316 रकबा 0.20 है0, 317 रकबा 0.01 है0, 318 रकबा 0.29 है0, 322 रकबा 0.40 है0, 323 रकबा 0.15 है0, 331 रकबा 0.25 है0, 332 रकबा 0.24 है0, 333 रकबा 0.15 है0, 334 रकबा 0.01 है0, 335 रकबा 0.17 है0, कुल किता 24 कुल रकबा 6.06 है0 वाके ग्राम धंधावली तहसील सूरौठ तथा खसरा नम्बर 1610 रकबा 0.34 है0 वाके ग्राम सूरौठ तहसील सूरौठ खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 09.05.2022 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्ड्रो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 15-9-22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली